

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.)

दुग्ध चूर्ण के परिवहन कार्य हेतु अल्पकालीन ई- निविदा

निविदा क्रं: 81

दिनांक 18.09.2020

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, डेयरी संयंत्र हंबीबगंज, भोपाल द्वारा राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों से दुग्ध चूर्ण का परिवहन किया जाना है। उक्त कार्य को करने के इच्छुक परिवहनकर्ता हेतु ऑन लाइन दरें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म क्रय, डाउनलोड एवं निविदा भरने की संपूर्ण कार्यवाही www.mptenders.gov.in पर संपादित की जा सकती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण/कार्य एवं शर्तें मुख्यालय की वेबसाइट www.mpcdf.nic.in एवं www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती हैं। निविदा आफ़र को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या0, भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा।

निविदा में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है, तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई मुख्यालय की वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम पर प्रकाशित नहीं होगा।

निविदा फार्म डाऊन लोडिंग की प्रारंभ दिनांक व समय	निविदा दर भरने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा प्रपत्र की राशि रू0	तकनीकी निविदा खुलने की दिनांक, समय व स्थान
18.09.2020	24.09.2020 03.00 PM	1000 / -	25.09.2020 03.00 PM भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल

परिवहन विवरण

क्रं	परिवहन		सामग्री	अवधि	धरोहर राशि रु० में (EMD)
	से	तक			
1	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, मॉंगलीया, इन्दौर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	24 माह	10,000/-
2	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या, उज्जैन	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	24 माह	10,000/-
3	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, ग्वालियर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	24 माह	10,000/-
4	पवन श्री डेयरी, मक्सी रोड़, उज्जैन	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	24 माह	10,000/-
5	जयश्री गायत्री डेयरी, सीहोर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो में)	24 माह	10,000/-

निविदा फार्म मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से दिनांक 23.09.2020 दोपहर 3.00 बजे तक डाउनलोड कर सकते हैं।

निविदा का विस्तृत विवरण/कार्य एवं शर्तें हमारी वेबसाइट www.mpcdf.nic.in एवं www.sanchibhopal.com पर देखी जा सकती है।

दुग्ध चूर्ण की मात्रा (आवश्यकतानुसार) दर स्वीकृति उपरांत अवगत कराई जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
— तकनीकी प्रपत्र —

1. निविदाकार का नाम
(पिता के नाम सहित) — — — — —
2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता
— — — — —
— — — — —
— — — — —
3. कार्यालय का पता
(अ) दूरभाष/मोबाईल नम्बर
(ब) E-Mail — — — — —
4. निविदा के साथ जमा राशि
विवरण (ऑन लाइन जमा की गई राशि का विवरण) — — — — —
5. PAN No.
(छायाप्रति अपलोड करे) — — — — —
6. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे) — — — — —

नोट :-

 घोषणा 

एतद् द्वारा मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे/हमारे पूर्ण विवेक अनुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैने/हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निविदा शर्तों तथा सूची को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे/हमें मान्य है।

स्थान:-

दिनांक

निविदाकार के हस्ता. एवं सील

निविदा शर्तें

- (1) निविदा प्रपत्र पूर्ण कर निविदा के साथ प्रतिभूति राशि ANNEXURE-I के अनुसार ऑन लाइन भर कर अपलोड किया जाना होगा। निश्चित समय के बाद प्राप्त निविदा एवं प्रतिभूति के बिना किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- (2) निविदा समिति द्वारा दिनांक 25.09.2020 को दोपहर 3.00 बजे समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा खोलते समय निविदाकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकेंगे।
- (3) निविदा स्वीकृत होने पर सुरक्षा निधि राशि रू. 2,00,000/- (रू. दो लाख मात्र) 07 दिवस में जमा कराना होगी जो कि कार्य समाप्त होने पर पूर्ण कार्य की समीक्षा के पश्चात वापस की जावेगी, तथा इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निश्चित अवधि में अमानत राशि जमा न करने पर प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए उन स्थानों के लिये निविदा अन्य निविदाकार को दी जा सकेगी।
- (4) निविदाकर्ता की दर स्वीकृत होने पर न्यूनतम दर प्राप्त प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति राशि को छोड़ कर शेष निविदाकर्ताओं की प्रतिभूति राशि 30 दिवस में वापिस हो जावेगी।
- (5) परिवहनकर्ता को परिवहन की सभी शर्तें मान्य होगी।
- (6) परिवहन दर अनुमोदन के पश्चात प्रभावशील मानी जावेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को आवश्यकतानुसार दुग्ध चूर्ण की मात्रा को घटाने या बढ़ाने हेतु पूर्ण अधिकार रहेगा।
- (7) परिवहनकर्ता को परिवहन करने के पश्चात परिवहन का बिल भुगतान हेतु कार्यालय में माल प्राप्ति की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (8) परिवहनकर्ता द्वारा सामग्री का पूर्ण मात्रा निश्चित समयावधि में यदि परिवहन नहीं की जाती है तो संघ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था करने पर अधिक लगने वाली राशि की वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी।
- (9) परिवहनकर्ता द्वारा दर अनुमोदन के उपरांत वाहन निर्देशानुसार नहीं भेजे जाते हैं, तो अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर अन्य परिवहनकर्ताओं से कार्य कराया जावेगा।
- (10) निविदाकर्ताओं को यह विदित हो कि वे निविदा दरे प्रस्तुत करते समय ध्यान रखें कि ट्रकों में दुग्ध चूर्ण की मात्रा, प्रदेश एवं केन्द्र सरकार के परिवहन नियमों के अन्तर्गत ही भरा जावेगा।

- (11) परिवहन कार्य हेतु लगाये जाने वाले वाहन की क्षमता 16 मेट्रिक टन या उससे अधिक के होना अनिवार्य होगा, इस संबंध में रू. 100/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर शपथपत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- (12) एक अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या., भोपाल का रहेगा।
- (13) निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृति हो जाने पर रू. 1000/- के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्या., भोपाल के साथ कार्यादेश प्राप्ति से 07 दिवस में अनुबंध निष्पादित करना होगा, जिसका प्रारूप संलग्न है।
- (14) किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष महोदय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के माध्यम से किया जायेगा तथा उनके द्वारा पारित आदेश दोनों पक्षों पर बन्धनकारी रहेगा।
- (15) किसी भी वाद विवाद होने पर न्यायालयीन क्षेत्र भोपाल (म.प्र.) होगा।



ॐ अनुबंध ४०

यह अनुबंध पत्र लिखवा लेने वाले **मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह. दुग्ध संघ मर्या., भोपाल** (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र में प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ कहा गया है) एवं _____ . (जिन्हे आगे इस अनुबंध पत्र में द्वितीय पक्ष परिवहन ठेकेदार कहा गया है) के बीच निम्न शर्तों पर, व्यवसायिक अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :-

- (1) ठेके की अवधि कार्य आदेश जारी करने की दिनांक से 24 माह तक रहेगी।
- (2) सामान्यतः परिवहन हेतु लगने वाले खाली वाहनों की मांग के विषय में सूचना ठेकेदार को इस कार्यालय द्वारा दी जावेगी, परन्तु मूलतः संयंत्र की आवश्यकतानुसार परिवहन हेतु लगने वाले ट्रकों की मांग प्राप्त करना ठेकेदार का ही कर्तव्य होगा। ठेकेदार द्वारा वाहन उपलब्ध न कराने की दशा में यदि अतिरिक्त वाहन द्वारा कार्य कराया जाता है तो ठेकेदार से अतिरिक्त परिवहन भुगतान राशि की वसूली द्वितीय पक्ष अर्थात् परिवहन ठेकेदार के देयकों से की जावेगी।
- (3) परिवहन कार्य के लिये संघ द्वारा मांग करने पर 24 घंटे में वाहन उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में संघ द्वारा अपने स्तर पर वैकल्पिक व्यवस्था कर कार्य कराया जावेगा जिसमें होने वाले अधिक भुगतान की राशि ठेकेदार के देयक से वसूल की जावेगी।
- (4) साधारणतः संघ में वाहन खाली करने का समय कार्य दिवस में प्रातः 9.00 से सायंकाल 5.00 बजे तक रहता है, तत् पश्चात् वाहन आने पर संयंत्र परिसर में खड़ा रहेगा।
- (5) परिवहन ठेकेदार को किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (6) परिवहन ठेकेदार को भुगतान हेतु अपना मुद्रित देयक दो प्रतियों में वैधानिक जानकारी उल्लेखित कर माल प्राप्ति की वैध रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
- (7) परिवहन की जा रही सामग्री का ट्राजिट बीमा दुग्ध संघ द्वारा कराया जावेगा।
- (8) परिवहन करते समय मार्ग में किसी प्रकार की टूट-फूट नुकसान दुग्ध चूर्ण गीला होना, कमी आदि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा तथा इससे संबंधित राशि उसके परिवहन देयक एवं अमानत राशि से वसूल की जावेगी।
- (9) लोडिंग/अनलोडिंग व्यय परिवहन ठेकेदार को वहन करना होगा।
- (10) परिवहन ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों का व्यवहार संस्था के अधिकारियों/कर्मचारियों व हम्मालों के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिये। यदि ट्रक ड्रायवर की असावधानी से संघ की जान-माल, सम्पत्ति आदि की कोई हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- (11) परिवहन ठेकेदार के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी भी ठेकेदार की होगी व यदि इस बाबत कोई हानि होगी तो राशि ठेकेदार से वसूल की जावेगी।

- (12) उपरोक्त शर्तों के अलावा मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर जो परिवहन संबंधी सूचनाये/आदेश दिये जावेगे, उनके पालन हेतु ठेकेदार बाध्यकारी होगा।
- (13) यह कि उक्त अनुबंध प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारियों पर समान रूप से प्रभावशील रहेगा।
- (14) स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, जो कि अपरिवर्तनीय होगी।
- (15) उभय पक्षों में कोई विवाद उत्पन्न होने पर प्राधिकृत अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल का निर्णय अंतिम व दोनो पक्षों को मान्य होगा समस्त विवादों के प्रसंग में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।
- (16) अनुबंध की शर्तों में परिस्थितिवश परिवर्तन या शिथिल करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल को होगा।

इस अनुबंध पर आज दिनांक..... को उभय पक्षों में आपसी सहमति के आधार पर भोपाल सह.दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यालय में हस्ताक्षर किये हैं, निविदाकार का इकरार नामा दिनांक ----- से ----- तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा।

हस्ताक्षर
()

परिवहनकर्ता ठेकेदार

हस्ताक्षर
()
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
भोपाल सह.दुग्ध संघ, भोपाल

◇ गवाह ◇

(1) हस्ताक्षर
नाम -----
पिता -----
पता -----

(2) हस्ताक्षर
नाम -----
पिता -----
पता -----

× × ×

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,भोपाल

दरें केवल ऑनलाइन भरी जावेगी।

क्रं	परिवहन से	तक	सामग्री	परिवहन हेतु दर (प्रति मे0टन)
1	इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, मॉगलीया, इन्दौर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो बैग में)	
2	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या, उज्जैन	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो बैग में)	
3	ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या, ग्वालियर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो बैग में)	
4	पवन श्री डेयरी, मक्सी रोड़, उज्जैन	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो बैग में)	
5	जयश्री गायत्री डेयरी, सीहोर	भोपाल डेयरी संयंत्र	दुग्ध चूर्ण (25किलो बैग में)	

1 सामग्री की लोडिंग व अनलोडिंग व्यय परिवहनकर्ता द्वारा वहन की जावेगी।